

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक—933 /FP/UK/ROAD/10904/2015 :देहरादून:दिनांक: 05 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

(एनलाईन) नं 05 प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के लिए एप्लिकेशन की ओर से इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी की है जिसमें आपका नाम
अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), कालोनी नामांकन के 0801 संगतीय
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25—सुमाष रोड, देहरादून।

विषय:—जनपद—अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण के अन्तर्गत घासनी से डढोली तक मोटर
मार्ग के निर्माण हेतु 3.005 हेक्टेएक्ट वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विभाग को
प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन फाईल नं 0 FP/UK/ROAD/10904/2015)

संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या—8वी/यू.सी.पी./06/173/2015/एफ०सी०/2412 दिनांक
08—02—2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के
उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन
भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा
सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है:—

1. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 6.010 हेक्टेएक्ट भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु ₹ 16,74,776.00 (रु० सोलह लाख चौहत्तर हजार सात सौ छिहत्तर) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम—कालून सिविल सौयम भूमि की शर्त अधिरोपित की गयी थी। उक्त के क्रम प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम—कालून में उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर ग्राम—स्याकुरी, पटवारी क्षेत्र—जुम्मा, तहसील—धारचूला, जनपद—पिथौरागढ़ में दिनिहत 6.010 सिविल सौयम भूमि वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है, जिसको ऑनलाईन वेब—पोर्टल पर यथास्थान भी उपलोड कर दिया गया है। वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किये गये ग्राम—स्याकुरी सिविल सौयम भूमि के अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक—1)
2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि ₹ 19,74,285.00 (रु० उन्नीस लाख चौहत्तर हजार दो सौ पिंचासी) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—2)
4. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि कुल ₹ 36,49,061.00 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। (संलग्नक—3)
5. शर्त संख्या—5 के अनुपालन में सङ्करण के पश्चात् जहाँ—जहाँ सम्भव हो, सङ्करण के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—4)

प्रांतीय वन प्रिकार्ड छार्ट्स पर कामों का छापा प्रगति-छालांक
एकाधिक छार्ट्स की समर्पित अवधि का प्राप्ति

6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में Geo referenced digital map for the area proposed for CA has been uploaded संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-5)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्न—यथोपरि।

मवदीय,
(राजीव-शर्मा)
मनोज चन्द्रन
मुख्य वन संरक्षक

संख्या :- १३३ /FP/UK/ROAD/10904/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद—अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद—पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
8. अधिकारी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वार्ड. खण्ड, लो०निं०वि०, द्वाराहाट।

मनोज चन्द्रन
मुख्य वन संरक्षक

(१-कामकांड)

(१-कामकांड)